

मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग,

76, अरेरा हिल्स, भोपाल

पत्र क्रमांक 311/005/2010

भोपाल, दिनांक 28/5/15

:: सूचना ::

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अंतर्गत प्रकरणों की प्रस्तुति एवं कार्यवाही हेतु बैठकों के दिन उपभोक्ता संरक्षण नियम, 1987 के नियम 4 के अंतर्गत घोषित किये गये हैं :-

क्र.	जिला फोरम का नाम	बैठक हेतु निर्धारित दिन (प्रत्येक सप्ताह)
1.	धार	सोमवार, मंगलवार व बुधवार
2.	बड़वानी	गुरुवार व शुक्रवार
3.	मण्डलेश्वर	सोमवार व मंगलवार
4.	झाबुआ	शुक्रवार
5.	छिन्दवाड़ा	सोमवार से गुरुवार
6.	नरसिंहपुर	शुक्रवार
7.	बैतूल	सोमवार व मंगलवार
8.	बालाघाट	बुधवार
9.	सिवनी	गुरुवार
10.	ग्वालियर	सोमवार, मंगलवार, बुधवार गुरुवार, शुक्रवार
11.	मुरैना	सोमवार, मंगलवार, बुधवार
12.	मिण्ड	बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार
13.	जबलपुर	प्रत्येक कार्यदिवस
14.	सतना	सप्ताह के सभी दिन
15.	पन्ना	गुरुवार
16.	छतरपुर	शुक्रवार एवं शनिवार
17.	सागर	सोमवार मंगलवार, बुधवार, गुरुवार
18.	दमोह	मंगलवार एवं बुधवार
19.	टीकमगढ़	बुधवार एवं गुरुवार
20.	विदिशा	गुरुवार एवं शुक्रवार
21.	रायसेन	बुधवार
22.	उज्जैन	सप्ताह कार्यदिवस
23.	देवास	प्रत्येक सोमवार, मंगलवार एवं बुधवार
24.	रतलाम	गुरुवार एवं बुधवार
25.	मंदसौर	बुधवार एवं गुरुवार
26.	नीमच	शुक्रवार
27.	खण्डवा	सोमवार, मंगलवार, बुधवार एवं शनिवार
28.	बुरहानपुर	बुधवार एवं गुरुवार
29.	हरदा	गुरुवार एवं शुक्रवार

निर्धारित बैठक दिवसों में शासकीय अवकाश के दिन शामिल नहीं होंगे एवं अध्यक्ष की बैठक में उपस्थिति नहीं होने पर सदस्य/सदस्यों द्वारा बैठकों का आयोजन कर विधि अनुसार कार्यवाही सम्पादित की जावेगी।

(अवधेश कुमार श्रीवास्तव)

रजिस्ट्रार

म.प्र. राज्य उपभोक्ता विवाद
प्रतितोषण आयोग, भोपाल.